लक्ष्य और उद्देश्य

चिकित्सा विभाग द्वारा निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं.

- रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार से संबंधित कार्य
- औद्योगिक चिकित्सा से संबंधित कार्य.

रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार से संबंधित कार्य:

दक्षिण मध्य रेलवे, नांदेड मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा पूरी तरह से व्यापक चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाते हैं.

ए. उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल

- प्राथमिक स्तर
- द्वितीयक स्तर
- तृतीय स्तर

प्राथमिक स्तर:-

सभी स्वास्थ्य यूनिटों और मंडल अस्पताल/नांदेड में प्राथमिक स्तर पर इन-हाउस सेवा उपलब्ध कराई जाती है. इन सेवाओं में कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, विभिन्न सामान्य बीमारियों का उपचार, टीकाकरण गतिविधियां, विभिन्न स्क्रीनिंग शिविर, बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य अभियान और उपचार ,सामान्य रोगनिदान और रेडियोलॉजिकल जांच आदि शामिल हैं. मंडल अस्पताल/नांदेड और उप-मंडल अस्पताल/पूर्णा सभी प्रकार की आपात स्थितियों में उपचार हेतु 24 घंटे कार्य करता है.

द्वितीय स्तर:-

मंडल अस्पताल/नांदेड में द्वितीय देखभाल स्तर की सेवाएं प्रदान की जाती हैं इस अस्पताल में जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ओ एंड जी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी और एनेस्थिसियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं. वे अपने क्षेत्रों में विशेष सेवा प्रदान करते हैं. इस अस्पताल में एक एक्स-रे मशीन, पैथोलॉजी प्रयोगशाला और निगरानी सुविधा के साथ वार्ड उपलब्ध है.

तृतीय स्तर:

यह सेवा केंद्रीय अस्पताल/लालागुडा/ सिकंदराबाद और नांदेड,जालना, औरंगाबाद तथा अकोला के आउटसोर्स अस्पतालों में उपलब्ध है. इस सेवा के लिए प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के साथ करार किया गया है, जिनमें निम्नलिखित अस्पताल शामिल हैं.

1. निर्मल न्यूरोकेयर सेंटर, नांदेड़
2. पाटिल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, नांदेड़
3. ओजोन अस्पताल, अकोला
4. लोटस हॉस्पिटल, नांदेड़
5. अश्विनी अस्पताल, नांदेड़
6. एम्स अस्पताल, औरंगाबाद

7. संजीवनी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, जालना

8. नारायण अस्पताल, नांदेड़

9. काबरा पैथोलॉजी लैब, नांदेड़ (जांच के लिए)

बी निवारक स्वास्थ्य देखभाल :-

निवारक स्वास्थ्य देखभाल हमारी सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. इनमें कर्मचारियों और उनके आश्रितों की नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और विभिन्न जांच शिविर जैसे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, स्तन कैंसर स्क्रीनिंग आदि शामिल हैं. विभिन्न डिपो में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हमारे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम एवं रोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं.

गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य संरक्षा अधिकारियों और स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से खाद्य नमूने एकत्र कर उनके परीक्षण किए जाते हैं. अवशिष्ट क्लोरीन, जीवाणु विज्ञान और रासायनिक विश्लेषण के लिए पानी के नमूनों की नियमित रूप से जाँच की जाती है.

सी. प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल

यह रेलवे भारतीय रेलवे की आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक चिकित्सा उपलब्ध करा रही है और रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार भी प्रदान कर रही है. यह एक गतिशील प्रणाली है जो रेलवे लाभार्थियों को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करने की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन करती है.

औद्योगिक चिकित्सा से संबंधित कार्य:

• रेल दुर्घटना और अन्य अप्रिय घटनाओं में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना .

• यात्रा करने वाले बीमार यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करना.

• सेवाओं में भर्ती होते समय केवल फिट और उपयुक्त उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए रोजगार पूर्व चिकित्सा परीक्षा.

• गाडियों के सुरक्षित संचालन से संबंधित सेवारत कर्मचारियों को नौकरियों में जारी रखने के लिए फिट व्यक्ति की स्क्रीनिंग कराते हुए पीएमई (आवधिक चिकित्सा परीक्षा) आयोजित करना.

• सेवारत कर्मचारियों के मेडिकल बोर्ड और अन्य चिकित्सा प्रमाणन।

• बीमारी के कारण श्रम दिवस के नुकसान पर नियंत्रण (सामान्य और एचओडी दोनों)

• रेलवे स्टेशनों और कॉलोनियों में शुद्ध जल आपूर्ति.

• रेलवे स्टेशनों और कॉलोनियों में उपलब्ध कराए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए निरंतर निगरानी रखी जाती है.

• रेलवे स्टेशनों पर शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य आपूर्ति.

रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं.

• कारखाना अधिनियम सुनिश्चित करना: दक्षिण मध्य रेलवे के सभी कारखानों में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार प्रथमोपचार सेवाएं प्रदान की जाती है.

• कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम से संबंधित गतिविधियां नियमित आधार पर की जाती हैं.

• रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, रेलवे लाइन आदि पर शवों का प्रमाणीकरण नियमित आधार पर किया जाता है.

• जब भी आवश्यक हो, रेलवे स्टेशन में खराब होने वाले सामानों का उनके निपटान के बारे में प्रमाणन किया जाता है.